"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2007—अग्रहायण 16, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2007

क्रमांक 977/863/2007/1-8/स्था.—श्री के. आर. बर्मन, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 2-6-2007 से 5-6-2007 तक 04 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. आर. बर्मन को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. आर. बर्मन अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2007

क्रमांक 979/906/2007/1-8/स्था.—श्री बी. एल. अहिरवार, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 12-11-2007 से 14-12-2007 तक 33 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. अहिरवार को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एल. अहिरवार अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ 4-6/2006/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश कुमार अग्निहोत्री, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 10-09-2007 से 14-09-2007 तक (पांच दिवस) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति तथा उक्त अवकाश अवधि में अवकाश के पूर्व दिनांक 08 एवं 09-09-2007 तथा पश्चात् 15 एवं 16-09-2007 के सार्वजनिक अवकाश लाभ की अनुमति प्रदान करता है.

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ 13-5/2005/1-8.—भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 14/सी/9/2006 एस. आर. दिनांक 30-08-2007 द्वारा श्री जी. डी. गुप्ता, तत्कालीन, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को मध्यप्रदेश राज्य आवंटित किया गया है. अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में श्री गुप्ता को मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ 2-03/2007/1-8.—श्री आर. पी. देवांगन (रा. प्र. से.) उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2007

क्रमांक/10148/4036/2007/25-2/आजाक.—विभाग के आदेश क्रमांक/6592/4036/25-2 दिनांक 16 जुलाई, 07 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय साहित्यिक रचनाओं तथा साहित्य साधना करने वाले किसी एक व्यक्ति को स्व. हाजी हसन अली स्मृति सम्मान की पुरस्कार राशि के रूप में रुपए 1.00 लाख (रुपए एक लाख मात्र) दिए जाने हेतु आदेशित किया गया था.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा उपर्युक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आदेशित करता है कि पुरस्कार राशि के रूप में अंकित रुपए 1.00 लाख (रुपए एक लाख मात्र) के स्थान पर रुपए 2.00 (रुपए दो लाख मात्र) पढ़ा जावे.

3. यह आदेश राज्योत्सव वर्ष 2007 एवं भविष्य में दिए जाने वाले पुरस्कार हेतु लागू होगा.

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2007

क्रमांक/10150/89/2007/25-2/आजाक.—विभाग के आदेश क्रमांक/6588/89/25-2 दिनांक 16 जुलाई, 07 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक चेतना तथा दलित उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी एक व्यक्ति/संस्था को गुरु घासीदास सामाजिक चेतना तथा दलित उत्थान सम्मान की पुरस्कार राशि के रूप में रुपए 1.00 लाख (रुपए एक लाख मात्र) दिए जाने हेतु आदेशित किया गया था.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा उपर्युक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आदेशित करता है कि पुरस्कार राशि के रूप में अंकित रुपए 1.00 लाख (रुपए एक लाख मात्र) के स्थान पर रुपए 2.00 (रुपए दो लाख मात्र) पढ़ा जावे.

3. यह आदेश राज्योत्सव वर्ष 2007 एवं भविष्य में दिए जाने वाले पुरस्कार हेतु लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रकांत उईके, उप-सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2007

क्रमांक/4554/एफ-1-10/2007/14-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 38 (5) के तहत मिश्रण उर्वरकों एवं सूक्ष्म तत्व मिश्रण उर्वरकों के निर्धारण हेतु "राज्य उर्वरक समिति" का गठन करती है. उक्त समिति में निम्नानुसार सदस्य रहेंगे :—

क्र.	अधिकारी का नाम	समिति में पद
1.	संचालक, कृषि, छ. ग. रायपुर	अध्यक्ष
2.	संचालक, अनुसंधान सेवायें, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय	सदस्य
3.	संचालनालय कृषि के सहायक संचालक कृषि (उर्वरक)	सदस्य
4.	फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
5.	भारतीय सूक्ष्म तत्व उर्वरक निर्माता संघ द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
6.	अपर संचालक कृषि, (उर्वरक), संचालनालय कृषि	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति निम्नानुसार कार्य करेगी :—

1. समिति एन. पी. के. के उर्वरक मिश्रणों, सूक्ष्म तत्वों उर्वरक मिश्रणों के ग्रेड्स बनाने के संबंध में अनुशंसा करेगी.

2. अनुशंसा किये गये उर्वरक मिश्रण एवं सूक्ष्म तत्व मिश्रणों के परीक्षण की विधि निर्धारित करेगी तथा उनके गुण नियंत्रण के संबंध में उपाय सुझायेगी.

3. समिति समय-समय पर परामर्श देने के लिए ऐसे व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगी, जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हो.

4. समिति का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने के दिनांक से आगामी आदेश तक होगा.

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2007

क्रमांक/4556/बी-11-36/2007/14-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था का गठन करती है इस संस्था के संचालक मंडल के सदस्य निम्नानुसार होंगे :—

क्र.	पदनाम	संचालक मंडल में पद
1.	कृषि उत्पादन आयुक्त, छ. ग. शासन	अध्यक्ष
2.	जैविक प्रगतिशील कृषक (तीन)	सदस्य
3.	सचिव, छ. ग. शासन, कृषि विभाग	उपाध्यक्ष
4.	सचिव, छ. ग. शासन, वित्त विभाग	सदस्य
5.	संचालक, कृषि, छ. ग. रायपुर	सदस्य
6.	संचालक, पशुचिकित्सा सेवायें, छ.ग. रायपुर	सदस्य
7.	संचालक, उद्यानिकी, छ. ग. रायपुर	सदस्य
8.	प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर	सदस्य
9.	प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.	सदस्य
10.	प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि.	सदस्य
11.	संचालक, अनुसंधान सेवायें, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय	सदस्य
12.	विभागाध्यक्ष, बायोटेक्नालाजी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय	सदस्य
13.	प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, रायपुर	सदस्य
14.	प्रतिनिधि, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
15.	प्रतिनिधि, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)	सदस्य
16.	उप-सचिव, छ. ग. शासन, कृषि विभाग	सदस्य
17.	प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, रायपुर	सदस्य-सचिव.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2007

क्रमांक 9797/डी-4226/21-ब/छ. ग./07.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 507-1-8-6/2001/गोपनीय/07 दिनांक 13-11-2007 के परिप्रेक्ष्य में श्री मोहम्मद रिजवान खान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सूरजपुर की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर में उप-सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक विधि और विधायी कार्य विभाग को एतद्द्वारा सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2007

क्रमांक 9799/डी-4226/21-ब/छ. ग./07.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 507-1-8-6/2001/गोपनीय/07 दिनांक 13-11-2007 के परिप्रेक्ष्य में श्री मोहम्मद रिजवान खान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सूरजपुर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर में उप-सचिव के पद पर एतद्द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामन्तराय, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2007

क्रमांक 9891/डी-4038/21-ब/छ. ग./2007.—राज्य शासन द्वारा नियमित न्यायालय, जशपुर में इस विभाग के आदेश क्र. 1516/473/21-ब दिनांक 22-02-06 के तहत श्री दीपक देशपांडे अधिवक्ता को दिनांक 01-08-05 से पुन: तीन वर्ष की कालावधि के लिए जशपुर जिले के लिए लोक अभियोजक/शासकीय अभिभाषक नियुक्त किया गया था.

श्री दीपक देशपांडे द्वारा उक्त पद से त्याग-पत्र दिये जाने के फलस्वरूप दिनांक 12-10-07 से त्याग-पत्र स्वीकृत किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2007

क्रमांक 9978/4277/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री संतोष कुमार गुप्ता अधिवक्ता को नियमित न्यायालय जांजगीर-चांपा में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2007

क्रमांक/क./वा./भू. अ./24/अ-82/वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	निनवा प. ह. नं. 10	475/1 476/1	0.052	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग, क्रमांक-3, तिल्दा (तुलसी)	किरना वितरक शाखा नहर के अंतर्गत निनवा मायनर के नहर निर्माण हेतु.
			475/2 476/2	0.040		
			474/1	0.178		
			408/11	0.161		
			408/12	0.097		
			406/6	0.121		
			118/25	0.109		
			118/30	0.161		
			118/29	0.129		
			118/10	0.064		
			129/2	0.408		
			118/27	0.032		
			127/6	0.060		
			127/11	0.129		
			127/20	0.141		
			118/13	0.157		
		योग	**16**	**2.039**		

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2007

क्रमांक/क./वा./भू. अ./23/अ-82/वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	तरपोंगी प. ह. नं. 03	469/1	0.073	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग, क्रमांक-3, तिल्दा (तुलसी)	किरना वितरक शाखा नहर के अंतर्गत तरपोंगी मायनर के नहर निर्माण हेतु.
			470/1 471/1	0.061		
			470/5 471/5	0.041		
			470/3 471/3	0.041		
			471/4 471/4	0.049		
			466/1	0.081		
			465	0.138		
			462/2	0.202		
			463/2	0.142		
			464/3	0.413		
			464/4	0.085		
			464/1	0.041		
			426/1	0.041		
			293/3	0.109		
			646/5	0.109		
			446/13	0.437		
			441/1	0.041		
			444/2	0.140		
			445/6	0.020		
			443/2	0.057		
			418/3	0.020		
			442/1	0.065		
			441	0.016		
			440/2	0.162		
			440/3	0.008		
			418/2	0.032		
			420	0.227		
			422/1	0.045		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			422/2	0.081		
			423	0.073		
			424	0.038		
			425/1	0.053		
			425/2	0.049		
			426/2	0.162		
			446/8	0.122		
			271/1	0.065		
			272/3	0.109		
			272/2	0.142		
			271/3	0.061		
			272/1	0.020		
			274/1	0.292		
			276/8	0.130		
			131/1 ख	0.089		
			276/12	0.081		
			276/2	0.182		
			276/3	0.158		
			276/1	0.113		
			293/1	0.045		
			292/2.	0.122		
			291	0.182		
			290	0.194		
			132/2	0.648		
			130/15	0.259		
			130/13	0.130		
			30/1	0.194		
			26/1	0.190		
			21	0.198		
			130/12	0.097		
			131/1 ग	0.113		
			131/1 ड	0.016		
		योग	60	7.304		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 26 नवम्बर 2007

क्रमांक/10109/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-जारवाही, प. ह. नं. 66/5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.10 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	511	0.17
	512	0.15
	534/1	1.50
	510	0.09
	515/1	0.05
	517	1.00
	539/1	1.50
	543/1	0.44
	515/2	0.06
	529/2	1.00
	513	0.14
योग	11	6.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुरैना जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 नवम्बर 2007

क्रमांक/10110/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सहसपुर, प. ह. नं. 66/5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-16.06 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	486/2	1.00
	486/1	0.38
	517	1.11
	523	0.28
	494/1	0.62
	490/1	0.88
	489/1	0.33
	483	0.83
	499/1	3.00
	513	0.25
	424	0.23
	525/2	0.61
	485	0.25
	452/1	1.00
	499/12	2.00
	512	0.25
	530/1	1.33
	525/5	0.60
	516	1.11
योग	19	16.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुरैना जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2007

क्रमांक/एफ-112/रानिआ/न. पा./व्यय लेखा/निरर्हता/07/1612 (अ).—मई-जून 2007 नगर पंचायत पण्डरिया के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. शकुन बाई/लैनदास को छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

इस प्रकरण में समस्त प्रासंगिक बिन्दुओं पर तर्क सम्मत विवेचन तथा सकारण आदेश संबंधित नस्ती में अंकित किया गया.

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2007

क्रमांक/एफ-112/रानिआ/न. पा./व्यय लेखा/निरर्हता/07/1612 (ब).—मई-जून 2007 नगर पंचायत पण्डरिया के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. अनुसूईया/सीताराम को छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

इस प्रकरण में समस्त प्रासंगिक बिन्दुओं पर तर्क सम्मत विवेचन तथा सकारण आदेश संबंधित नस्ती में अंकित किया गया.

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2007

क्रमांक/एफ-111/रानिआ/न. पा./व्यय लेखा/निरर्हता/07/1613.—मई-जून 2007 नगर पंचायत अभनपुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. प्रमिला विश्वकर्मा को छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

इस प्रकरण में समस्त प्रासंगिक बिन्दुओं पर तर्क सम्मत विवेचन तथा सकारण आदेश संबंधित नस्ती में अंकित किया गया.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
ओंकार सिंह, सचिव.

परिशिष्ट-1

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2007

क्रमांक-एक/134/न. पा./रानिआ/समय कार्यक्रम/2007/1626.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा-14 (1) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 20 (2) (क), छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 36 (2) (क) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा संलग्न परिशिष्ट-2 में अंकित नगरपालिकाओं (नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत) के उप-निर्वाचन हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है :—

क्र.	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तारीख
1.	(प) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करना.	21, 22	29-11-2007 गुरुवार प्रात: 10.30 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
	(पप) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	22 "क"	29-11-2007 गुरुवार
	(पपप) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	16	29-11-2007 गुरुवार
2.	नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	21 (क)	06-12-2007 गुरुवार अपरान्ह 3.00 बजे तक
3.	नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच)	21 (ख)	07-12-2007 शुक्रवार प्रात: 10.30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख	21 (ग)	08-12-2007 शनिवार अपरान्ह 3.00 बजे तक
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	31, 32	08-12-2007 शनिवार नाम वापस लिये जाने के तत्काल बाद
6.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	21 (घ)	19-12-2007 बुधवार प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक
7.	मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा	21 (ङ)	22-12-2007 शनिवार प्रात: 9.00 बजे से

एस. के. तिवारी,
उप-सचिव.

परिशिष्ट-2

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ-23/रानिआ/न. पा/2007/1626.—नगरपालिकाओं के रिक्तिओं की जानकारी माह-अगस्त 2007 की स्थिति में-

क्र.	जिला	नगरपालिका	पद एवं रिक्त वार्ड		
			अध्यक्ष	पार्षद	रिक्त वार्ड का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बिलासपुर	नगर पंचायत गौरेला	अध्यक्ष	–	–
	--,,--	नगर पंचायत बिल्हा	–	पार्षद	8
2.	कोरबा	नगर पालिक निगम कोरबा	–	पार्षद	49
3.	कोरिया	नगर पंचायत झगराखांड	–	पार्षद	12
4.	रायपुर	नगर पंचायत राजिम	–	पार्षद	2
	--,,--	नगर पंचायत अभनपुर	–	पार्षद	6
5.	महासमुन्द	नगर पंचायत सरायपाली	–	पार्षद	3
6.	दुर्ग	नगरपालिका निगम दुर्ग	–	पार्षद	37
	--,,--	नगरपालिका परिषद् कुम्हारी	–	पार्षद	3
	--,,--	नगर पंचायत नवागढ़	–	पार्षद	12.
	--,,--	नगरपालिका परिषद् भिलाई चरौदा	–	पार्षद	1
	--,,--	नगरपालिका परिषद, दल्लीराजहरा	–	पार्षद	25
7.	दंतेवाड़ा	नगर पंचायत, दंतेवाड़ा	–	पार्षद	2
		योग	**1**	**12**	

एस. के. तिवारी,
उप-सचिव.

परिशिष्ट-एक

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ 37-14/तीन (एक)-1/07/1624.—पंचायतों में रिक्त पदों के लिए उप चुनाव हेतु समय-अनुसूची (कार्यक्रम) वर्ष 2007 (उत्तरार्द्ध)

क्रमांक	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तारीख	दिन	समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करना.	28	29-11-2007	गुरुवार	प्रात: 10.30 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
2.	स्थानों (सीटों) के आरक्षण की स्थिति के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	29 क	29-11-2007	गुरुवार	प्रात: 10.30 बजे से
3.	मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	23	29-11-2007	गुरुवार	प्रात: 10.30 बजे से
4.	नाम-निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख	28 क	06-12-2007	गुरुवार	अपरान्ह 3.00 बजे तक
5.	नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) करने की तिथि	28 ख	07-12-2007	शुक्रवार	प्रात: 10.30 बजे से
6.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	28 ग	08-12-2007	शनिवार	अपरान्ह 3.00 बजे तक
7.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	38, 39	08-12-2007	शनिवार	अभ्यर्थिता वापसी के बाद
8.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28 घ	19-12-2007	बुधवार	प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
9.	मतगणना	28 (ङ)			
	(1) मतदान केन्द्रों पर		19-12-2007	बुधवार	मतदान केन्द्रों में मतदान के तुरंत बाद
	(2) खण्ड मुख्यालय पर		22-12-2007	शनिवार	प्रात: 9.00 बजे से
10.	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा-				
	(1) पंच, सरपंच/जनपद सदस्य के मामले में	-	22-12-2007	शनिवार	खण्ड मुख्यालय में प्रात: 9.00 बजे से
	(2) जिला पंचायत सदस्य के मामले में		23-12-2007	रविवार	जिला मुख्यालय में प्रात: 10.30 बजे से

एस. के. तिवारी
उप-सचिव.